पत्रांक–11/वि 11–137/2024 (अंश) 1444

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार पुष्पक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 02/06/2025

विषयः– **राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/सहायक शिक्षक/विशिष्ट शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली, 2021 के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत विद्यालय अध्यापक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है। किन्तु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे है कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृत कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

2. अतः सम्यक् विचारोपरांत अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को निम्नवत् रूप से निर्धारित की जाती हैः–

क्रम संख्या	**अवकाश का प्रकार**	**अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन पर विचारण हेतु अधिकतम कालावधि**
1	**2**	**3**
1	**आकस्मिक अवकाश** – समान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा किन्तु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।	1. सहायक शिक्षक/ विशिष्ट शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। 2. आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।
2	**विशेष आकस्मिक अवकाश** – महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 02 दिन अनुमान्य। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक	1. सहायक शिक्षक/ विशिष्ट शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले

राहुल

Scanned with OKEN Scanner

	अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।	में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। 2. आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।
3	**मातृत्व अवकाश/प्रसव अवकाश**– बिहार सेवा संहिता के नियम–220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में "दो से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व/प्रसव अवकाश देय होगा।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।
4	**शिशु देखभाल अवकाश** – बिहार सेवा संहिता के नियम–220(A) एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन–पोषण या देखभाल के लिए दो वर्ष (यानि 730 दिन) की शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। अगर कोई टुकड़े– टुकड़े में शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती है तो एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से ज्यादा छुट्टी की स्वीकृति नही दी जायेगी।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।
5	**पितृत्व अवकाश** – वित्त विभाग का परिपत्र संख्या–9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में Maternity की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 06 महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।
6	**उपार्जित अवकाश** – बिहार सेवा संहिता के नियम–227 के आलोक में छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 (तीन सौ) दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।

D:\Niranjan S.O.-11/Leave Letter (2)

राहुल

Scanned with OKEN Scanner

	उपार्जित अवकाश की गणना विश्रामावकाशी विभाग के परिप्रेक्ष्य में की जायेगी।	2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।
7	आधे वेतन **पर छुट्टी** – बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 233 एवं 248 के आलोक में ऐसे अवकाश की स्वीकृत दी जाएगी। ये छुट्टी निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र पर भी मिल सकती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर या निजी काम के लिए, एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है और यह तब भी लागू होगा जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाय। यह छुट्टी तबतक न दी जाएगी, जबतक कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।
8	**रूपांतरित छुट्टी** – बिहार सेवा संहिता के नियम 234 एवं 248 के तहत अनुमान्य होगा। पूरे सेवाकाल में अधिकतम 180 दिनों तक देय है। 180 दिन अर्थात् आधे वेतन की अर्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरण की स्वीकृत दी जाएगी।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।
9	**असाधारण अवकाश** – बिहार सेवा संहिता के नियम–180, 236 एवं 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतनादि देय नहीं होगा।	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।
10	**अदेय छुट्टी (Leave not due)** – बिहार सेवा संहिता के नियम 235 के तहत अनुमान्य। यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर दी जा सकती है। यह छुट्टी समूचे सेवाकाल में 180 दिन दी जा सकती है। सरकारी सेवक जो आधे वेतन पर छुट्टी बाद में उपार्जित करेंगे, उससे यह छुट्टी काट ली जायेगी।	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक

राहुल

Scanned with OKEN Scanner

		के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा।

3. उपर्युक्त सभी अवकाश संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/सहायक शिक्षक/विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को विद्यालय में योगदान की तिथि से नियमानुसार देय होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे सभी मामलों में अवकाश में जाने के पूर्व अवकाश हेतु आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जायेगा। यदि किसी तरह के अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी, तो वह भी ई-शिक्षाकोष के माध्यम से लिया जायेगा। जबतक अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है, तबतक ऑफलाइन मोड में ऐसे आवेदनों पर विचार किया जायेगा। दिनांक-23.06.2025 के पश्चात् ऑफलाइन मोड में अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायेगा। अवकाश की स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात में यह देखा जायेगा कि ऐसे किसी अवकाश की स्वीकृति से विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित न हो।

5. सहायक शिक्षक/विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तीन कार्य दिवस के अन्दर अग्रसारित किया जायेगा। यदि अग्रसारण का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ऐसे कारणों का उल्लेख किया जायेगा। अन्यथा तीन दिन के बाद अवेदन स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

6. बिहार सेवा संहिता के नियम-152 के अनुसार छुट्टी का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि लोक सेवा के लिए नितान्त आवश्यक हो, तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। यदि पृष्ठ-1 से 4 पर तालिका के कॉलम 3 में अंकित अवधि में छुट्टी स्वीकृत/अस्वीकृत का निर्णय निर्धारित समय में नहीं लिया जाता है तो समय पर स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करने वाले पदाधिकारी पर भी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

ऊपर वर्णित अवकाश हेतु प्रक्रियाओं एवं निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

02/06/25

(अमित कुमार पुष्पक)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-1444 पटना, दिनांक-02/06/2025

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश है कि इसे संबंधितों को ई-मेल करना एवं विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

02/06/25

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

राहुल

D:\Niranjan S.O.-11 /Leave Letter (4)

Scanned with OKEN Scanner